N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0158 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 20/06/2025 14:38 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 10/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 11/02/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 16:15 बजे **Time To (समय तक):** 15:35 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/06/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 20/06/2025 14:38:07 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 100 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GAON BAJJU KHALSA,POLICE THANA, BAJJU, JILA BIKANER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMNIWAS

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RESHAMARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO.11,, GAON BAJJU KHALSA, BAJJU, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO.11,, GAON BAJJU KHALSA, BAJJU, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MANOJ GAUTAM		पिता:BANSHILAL	1. F.C.I. GODAM KE PEECHHE,,INDIRA COLONY,BIKANER,RAJASTHA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 7,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 10.02.2025 को वक्त 0415 पी.एम. पर श्रीमान् महावीर प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, प्रभारी अधिकारी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर ने मन् पुलिस निरीक्षक श्रवण कुमार को अपने कक्ष में बुलाकर अपने पास बैठे व्यक्ति को परिवादी होना बताते हुए परिचय करवाया तथा परिवादी का नाम श्री रामनिवास पुत्र श्री रेशमाराम, जाति बिश्नोई, उम्र- 33 वर्ष, निवासी गांव बज्जू खालसा, पुलिस थाना बज्जू जिला बीकानेर का निवासी होना बताया। परिवादी श्री रामनिवास द्वारा ब्यूरो कार्यालय में प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट मय संलग्न परिवादी के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि तथा परिवादी के विद्युत कनेक्शन के बिलों से संबंधित दस्तावेजात की प्रतिलिपियों सहित विरूद्ध श्री मनोज, लाईनमैन गांव बज्जू, कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बज्जू के संबंध में कार्यवाही हेतु श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम विधिक कार्यवाही करने के लिए सुपुर्द करने पर परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट मय आधार कार्ड मय संलग्न दस्तावेजात की प्रतिलिपियों का अवलोकन कर परिवादी श्री रामनिवास को अपने कक्ष में लेकर उपस्थित हुआ। मजीद दरियाफ्त पर परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि आपके कार्यालय में पेश रिपोर्ट मेरे द्वारा ही हस्तलिखित है तथा इस पर मेरे ही हस्ताक्षर है। फिर से पूछने पर परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि मेरे घर पर मेरे नाम से ही गांव बज्जू खालसा में घरेलू विद्युत कनेक्शन के. नम्बर 310514033223 है। उक्त खाते के नाम से ही जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से बिल जारी होता है। मेरे उक्त खाते पर हमारे गांव के लाईनमैन श्री मनोज द्वारा मीटर की गलत रीडिंग लेकर हर बार बढा-चढाकर बिल तैयार किया जाता है। इसका प्रमाण यह है कि माह सितंबर 2024 में पहले तो कुल 12,411 रुपये का बिल निकाला गया, फिर मेरे द्वारा कम करने का निवेदन करने पर श्री मनोज लाईनमैन द्वारा कुल 1,492 रुपये का बिल अंतिम रूप से बनाया गया, जो मेरे द्वारा ऑनलाईन जमा करवा दिया गया। इसके बाद फिर से माह नवम्बर 2024 में पहले तो कुल 10,759 रुपये का बिल निकाला गया, फिर मेरे द्वारा कम करने का पुन निवेदन करने पर श्री मनोज लाईनमैन द्वारा कुल 1,552 रुपये का बिल अंतिम रूप से बनाया गया, जो मेरे द्वारा ऑनलाईन जमा करवा दिया गया। इसके बाद माह जनवरी 2025 का बिल दिनांक 25.01.2025 को कुल 1,386 रुपये राशि का निकाला गया, जो मेरे द्वारा ऑनलाईन जमा करवा दिया गया। तत्पश्चात् ठीक 11 दिन बाद ही हमारे गांव के लाईनमैन मनोज द्वारा माह फरवरी 2025 का फिर से मेरे नाम से 14,382 रुपये का बिल निकाल दिया गया है, जिसकी भरने की नियत तिथि 17 फरवरी 2025 है। श्रीमान् जी निवेदन है कि हमारे गांव का लाईनमैन मनोज जानबूझकर रिश्वत प्राप्त करने के आशय से मेरा बिल हर बार बढा-चढाकर निकालता है तथा उसके बाद मेरे द्वारा मिन्नतें करने पर और इधर-उधर से सिफारिशें लगवाने पर बार-बार निवेदन करने के उपरांत कम करता है। पिछली बार जब मैंने बिल भरा तो उसने मेरे से हर माह के 500/- प्रतिमाह के हिसाब से रिश्वत देने की मांग भी करी थी। इस बार उसने मेरे घरेलू विद्युत कनेक्शन का माह फरवरी 2025 का बिल फिर से बढा-चढाकर निकाला है, जबकि मेरे उक्त कनेक्शन पर मेरे घर पर लगाये गये मीटर की दिनांक 07.02.2025 तक की कुल रीडिंग ही 1020 यूनिट है, इस हिसाब से किसी भी आधार पर 14,382/- रुपये का बिल आ ही नहीं सकता है। लाईनमैन मनोज मुझे परेशान करने व अवैध रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए ही इतना बिल हर बार निकाल रहा है। मैं लाईनमैन की इस हरकत से बहुत अधिक परेशान हो चुका हूं। इस बार भी उक्त बिल को कम करवाने के लिए मैंने श्रीमान् सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बज्जू के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिनांक 07.02.2025 को पेश किया है, उक्त प्रार्थना-पत्र देने के उपरांत भी हमारे लाईनमैन मनोज ने आज दिन तक मेरा बिल कम नहीं किया है। श्रीमान् जी मनोज लाईनमैन मेरे से हर माह के 500/- रुपये बतौर रिश्वत राशि नहीं देने पर हर बार इसी तरह बढा-चढाकर बिल निकालता रहेगा। मैं मेरे जायज काम के बदले में रिश्वतखोर लाईनमैन श्री मनोज को कोई रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। मेरा श्री मनोज लाईनमैन से उधारी का कोई पुराना लेन-देन बकाया नहीं है, ना ही मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश है। प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि बज्जू गांव के भ्रष्ट लाईनमैन मनोज के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। रिपोर्ट परिवादी एवं दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाता है। अत आईन्दा रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाकर तदनुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। तत्पश्चात् वक्त 05.25 पी.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास को संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग संबंधी गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही करवाने बाबत् बताने पर परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि आज

तो अभी शाम का समय होने से कार्यालय बंद हो चुका है, बज्जू जाने में भी वक्त लगेगा और कल मैं मनोज लाईनमैन के बज्जू में होने के बारे में पता करके आपको जरिये मोबाइल बता दूंगा, तब आप अपने किन्हीं कर्मचारी को मेरे पास भिजवा देना, मैं चलकर लाईनमैन मनोज से रूबरू मिलकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर कार्यालय हाजा से ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व नया मेमोरी कार्ड जरिये कानिस्टेबल श्री भगवानदास से मंगवा कर परिवादी श्री रामनिवास को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू, बंद व वार्ता रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया से भली-भांति अवगत करवाया गया। इसके बाद परिवादी श्री रामनिवास को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर प्रदान किये गये। तत्पश्चात् श्री भगवानदास कानिस्टेबल को परिवादी द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट के तथ्यों से अवगत करवाया गया तथा दोनों को एक दूसरे के मोबाइल नंबर दिलवाये गये। तत्पश्चात् वार्ता रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया समझाने के पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व नया मेमोरी कार्ड पुन जरिये कानिस्टेबल श्री भगवानदास कार्यालय हाजा में जमा करवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री रामनिवास को संदिग्ध कर्मचारी श्री मनोज लाईनमैन के बज्जू गांव में स्थित अपने कार्यालय पर उपस्थित आने पर कल दिनांक 11.02.2025 को सुबह मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करने हेतु पाबंद किया गया, ताकि परिवादी व संदिग्ध कर्मचारी के मध्य रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी के पास ब्यूरो कार्यालय से श्री भगवानदास कानिस्टेबल को भेजकर सत्यापन कार्यवाही करवाई जा सके। तत्पश्चात् परिवादी श्री रामनिवास को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की विशेष हिदायत देकर कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 11.02.2025 को वक्त 10.04 ए.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास ने अपने मोबाइल नंबर [redacted] से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर [redacted] पर कॉल कर बताया कि संदिग्ध कर्मचारी श्री मनोज, लाईनमैन बज्जू यहां पर बज्जू में ही है, आप श्री भगवानदास जी को भिजवा देवें, ताकि मैं उक्त संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग की वार्ता कर लूंगा। जिस पर परिवादी श्री रामनिवास को बताया गया कि श्री भगवानदास कानिस्टेबल को मय ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व मूल मेमोरी कार्ड सहित रवाना किया जा रहा है, जो बज्जू पहुंच कर जरिये मोबाइल संपर्क कर आपसे मिल लेंगे। परिवादी श्री रामनिवास को संदिग्ध कर्मचारी के पास अपने पैण्डिग कार्य के संबंध में वार्ता करने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् वक्त- 10.10 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय हाजा पर पदस्थापित श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 को अपने कक्ष में बुलाकर कार्यालय हाजा से ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर तथा नया मेमोरी कार्ड मंगवाया गया। तत्पश्चात् श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 को परिवादी श्री रामनिवास की मन् पुलिस निरीक्षक से जरिये मोबाइल हुई वार्ता से अवगत करवाया गया। इसके बाद श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर तथा नया मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया और कानिस्टेबल को बज्जू जाकर परिवादी श्री रामनिवास से जरिये मोबाइल संपर्क कर मिलकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवाने संबंधी हिदायत दी गई तथा श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 को बज्जू जाकर परिवादी से मिलकर संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु सुविधाजनक तरीके से बज्जू जाने के लिए कार्यालय हाजा से रवाना किया गया। तत्पश्चात् वक्त- 01.34 पी.एम. पर श्री भगवानदास कानिस्टेबल ने स्वयं के मोबाइल नंबर [redacted] से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर [redacted] पर कॉल किया तथा बताया कि मेरे को बज्जू पहुंचे हुए लगभग आधा घंटा हो गया है तथा परिवादी श्री रामनिवास से संपर्क कर इनसे मिलकर मैं इनके घर पर आ गया हूं । परिवादी श्री रामनिवास ने अपने स्तर पर किसी के माध्यम से संदिग्ध कर्मचारी श्री मनोज लाईनमैन के बारे में पता किया तो मालूम हुआ है कि वह अभी फिलहाल बज्जू में नहीं है तथा कहीं इधर-उधर बाहर किसी गांव में गया हुआ है, उसके करीब 03.00 पी.एम. तक बज्जू में आने की संभावना है। जिस पर श्री भगवानदास को वहीं पर इंतजार करने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् वक्त- 03.17 पी.एम. पर श्री भगवानदास कानिस्टेबल ने स्वयं के मोबाइल नंबर [redacted] से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर [redacted] पर कॉल किया तथा बताया कि परिवादी श्री रामनिवास द्वारा अपने स्तर पर किसी माध्यम से संदिग्ध कर्मचारी के बारे में पता करने पर उसकी वर्तमान लोकेशन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल पा रहा है, जिस पर ऐसी सूरत में श्री भगवानदास कानिस्टेबल को परिवादी श्री रामनिवास के माध्यम से संदिग्ध कर्मचारी श्री मनोज लाईनमैन के मोबाइल पर कॉल करवाकर संपर्क होने पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु भिजवाने बाबत् बताया गया । तत्पश्चात् वक्त- 04.02 पी.एम. पर श्री भगवानदास कानिस्टेबल ने स्वयं के मोबाइल नंबर [redacted] से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर [redacted] पर कॉल किया तथा बताया कि परिवादी श्री रामनिवास व संदिग्ध कर्मचारी श्री मनोज लाईनमैन के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हो चुकी है, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड बंद करने के बाद मेरे पास सुरक्षित है। श्री भगवानदास कानिस्टेबल ने बताया कि परिवादी श्री रामनिवास बता रहा है कि आरोपी मनोज लाईनमैन द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में रिश्वत राशि 10,000/- की स्पष्ट रूप से मांग करने के बाद मेरे द्वारा कुछ कम करने का निवेदन करने पर वह कुल 7,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ है। जिस पर कानिस्टेबल को परिवादी श्री रामनिवास को हमराह साथ में लेकर ब्यूरो कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् वक्त- 06.00 पी.एम. पर श्री भगवानदास कानिस्टेबल तथा परिवादी श्री रामनिवास दोनों उपस्थित कार्यालय आये। श्री भगवानदास कानिस्टेबल ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं कार्यालय हाजा से रवाना होकर जरिये बस बज्जू पहुंचा था तथा परिवादी श्री रामनिवास से जरिये मोबाइल संपर्क कर उससे मिलकर संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग सत्यापन

वार्ता के बारे में बात की तो परिवादी श्री रामनिवास ने अपने स्तर पर किसी के माध्यम से संदिग्ध कर्मचारी श्री मनोज लाईनमैन की बज्जू में उपस्थिति के बारे में मालूमात की तो मालूम हुआ कि वह बज्जू से कहीं अन्यत्र किसी अन्य गांव में गया हुआ है, जिस पर कुछ देर परिवादी श्री रामनिवास के घर पर जाकर संदिग्ध कर्मचारी का इंतजार किया गया। तत्पश्चात् काफी देर होने के पश्चात् भी संदिग्ध कर्मचारी की लोकेशन के बारे में कोई पता नहीं चलने पर आपसे जरिये मोबाइल संपर्क किया गया। तत्पश्चात् आपके द्वारा आदेशित करने पर परिवादी के माध्यम से संदिग्ध कर्मचारी को उसके मोबाइल पर संपर्क करवाया गया तथा उसकी लोकेशन के बारे में मालूमात की गई। फिर संदिग्ध कर्मचारी के बताये अनुसार उसके बज्जू स्थित मैन बाजार में होने पर मन् कानिस्टेबल द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड स्थापित करने के उपरांत वक्त 032306 पी.एम. पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मूल मेमोरी कार्ड को चालू कर बोलकर परिवादी श्री रामनिवास को सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री रामनिवास के घर से परिवादी के साथ इनकी स्कूटी से रवाना होकर बज्जू स्थित मैन बाजार आने पर कुछ दूर पहले ही अपनी उपस्थिति छुपाकर मैं स्कूटी से उतर गया तथा परिवादी के पीछे-पीछे पैदल रवाना हो गया। तत्पश्चात् मन् कानिस्टेबल आगे मैन बाजार बज्जू में पहुंचा तो वहां पर परिवादी श्री रामनिवास मुझे संदिग्ध व्यक्ति से वार्ता करते हुए नजर आया। पास में अन्य लोग भी खडे थे। परिवादी श्री रामनिवास से वार्ता कर रहे संदिग्ध व्यक्ति को मैंने करीब 50 फीट दूर से देखा था। मन् कानिस्टेबल अपनी उपस्थिति छिपाते हुए वहीं मुकिम रहा। तत्पश्चात् थोडी देर बाद परिवादी श्री रामनिवास संदिग्ध कर्मचारी से वार्ता होने के उपरांत रवाना होकर अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए मन् कानिस्टेबल से मिला, जिस पर मन् कानिस्टेबल उसकी स्कूटी पर बैठकर परिवादी के साथ उसके घर गया। तत्पश्चात् परिवादी ने अपने घर पर वार्तायुक्त ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मूल मेमोरी कार्ड मुझे सुपुर्द किया, जिसे प्राप्त कर बंद कर मैंने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् परिवादी ने मन् कानिस्टेबल को बताया कि जिस व्यक्ति को अभी मैन बाजार बज्जू में आपने मेरे से बातचीत करते हुए देखा था, वही व्यक्ति श्री मनोज लाईनमैन है। परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि श्री मनोज लाईनमैन मेरे से हुई उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान रिश्वत राशि 10,000/- रुपये की स्पष्ट रूप से मांग करने के बाद कुछ कम करने का निवेदन करने पर कुल 7,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ है। तत्पश्चात् मन् कानिस्टेबल द्वारा जरिये मोबाइल कॉल कर उक्त वार्ता के संबंध में वक्त 04.02 पी.एम. पर कॉल कर आपको सूचना दी गई। तत्पश्चात् आपके आदेशानुसार परिवादी के साथ ही रवाना होकर उपस्थित कार्यालय आये हैं। श्री भगवान दास कानिस्टेबल ने ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया, जिसे मैंने प्राप्त कर स्वयं के पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् ब्यूरो कार्यालय पर ही उपस्थित परिवादी श्री रामनिवास से पूछने पर परिवादी ने कानिस्टेबल द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों को ही दोहराते हुए बताया कि श्री मनोज लाईनमैन से हुई वार्ता में उसने स्वयं द्वारा बढा-चढाकर निकाले गये माह फरवरी 2025 के मेरे घरेलू विद्युत कनेक्शन की राशि 14,382 रुपये को कम करने का आश्वासन देते हुए उक्त जायज कार्य करने की एवज में मेरे से माह फरवरी 2025 का बढाया हुआ बिजली का बिल कम करने तथा साल भर के लिए नियमानुसार बिल निकालने की एवज में रिश्वत राशि 10,000/- की स्पष्ट रूप से मांग करने के बाद मेरे द्वारा कुछ कम करने का निवेदन करने पर अंतत कुल 7,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ है। उक्त रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए सहमत होने के पश्चात् वार्ता के दौरान श्री मनोज लाईनमैन ने रिश्वत राशि प्राप्ति हेतु कोई निर्धारित दिनांक नहीं बताई है और उसने मुझे बताया कि मैं इस बिल को कम कर दूंगा तथा आईंदा बिल बढा-चढा कर नहीं निकालूंगा। वार्ता में श्री मनोज लाईनमैन ने ये भी बताया कि ये बिल मैंने ही जानबूझकर निकाला है, किसी अन्य व्यक्ति के कहने से नहीं निकाला है। श्री मनोज लाईनमैन मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए ही जानबूझकर बढा-चढाकर बिल निकाल रहा है। ये उससे हूई वार्ता से स्पष्ट रूप से सिद्ध हुआ है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री भगवानदास कानिस्टेबल की सहायता से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से अटैच कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को स्पीकर से सुना गया तो वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई तथा रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। तत्पश्चात् ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मूल मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय हाजा की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् वक्त- 06.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामनिवास से आरोपी श्री मनोज, लाईनमैन बज्जू के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजित करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तो परिवादी ने बताया कि श्री मनोज लाईनमैन मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने से पूर्व मेरा काम नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मैंने उसको सिफारिशें लगवाई है, मगर फिर भी उसने रिश्वत प्राप्ति के चक्कर में फिर से माह फरवरी 2025 का बिल बढाकर निकाल दिया है, मैं जब तक उसे आज हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक 7,000/- रुपये नहीं दे दूंगा, तब तक वो मेरा काम नहीं करेगा। परिवादी ने बताया कि इस कारण शीघ्र ही आरोपी श्री मनोज लाईनमैन के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजित करना ठीक रहेगा। इस पर परिवादी श्री रामनिवास को उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द टांस्क्रिप्ट वार्ता बनाने के लिए कल दिनांक 12.02.2025 को कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने की हिदायत दी गई तथा कार्यवाही हाजा की गोपनीयता बरतने की विशेष हिदायत दी गई। तत्पश्चात् परिवादी को कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक12.02.2025 को वक्त-11.40 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय हाजा पर पदस्थापित श्री रतनसिंह

कानिस्टेबल नंबर 151 को वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने के कारण गोपनीय राजकार्य के लिए दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बीकानेर के नाम की तहरीर मुर्तिब कर कार्यालय हाजा से जरिये क्रमांक 739 दिनांक12.02.2025 देकर रवाना किया गया। तत्पश्चात् वक्त-12.30 पी.एम. पर श्री रतनसिंह कानिस्टेबल नंबर 151 अपने साथ दो कर्मचारियों को गोपनीय राजकार्य हेतु हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय आया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री रतनसिंह कानिस्टेबल के साथ आये हुए कर्मचारियों से उनका नाम व पूर्ण पता पूछा तो दोनों ने अपना-अपना नाम व पता क्रमश 1- श्री लालचंद पडिहार पुत्र श्री फताराम, जाति मेघवाल, उम्र 52 वर्ष, पेशा सरकारी नौकरी, निवासी वार्ड नंबर 24, श्रीरामसर, पुलिस थाना गंगाशहर, जिला बीकानेर, हाल सहायक विकास अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बीकानेर, मोबाइल नंबर [redacted] तथा 2- श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री गोपालराम शर्मा, जाति सुथार, उम्र 54 वर्ष, पेशा सरकारी नौकरी, निवासी पाबूबारी के अंदर, नयाशहर, पुलिस थाना नयाशहर, जिला बीकानेर, हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बीकानेर, मोबाइल नंबर [redacted] होना बताया। जिस पर उक्त दोनों कर्मचारियों को कार्यालय हाजा पर बुलाये जाने के मंतव्य से अवगत करवाते हुए दिनांक 13-02-2025 को वक्त 10.00 ए.एम. पर या इससे पूर्व आवश्यकता होने पर जरिये मोबाइल तलब करने पर अविलंब आवश्यक रूप से कार्यालय हाजा में उपस्थित होने बाबत् पाबंद कर वक्त 01.00 पी.एम. पर कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया। तत्पश्चात् वक्त- 03.15 पी.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास उपस्थित कार्यालय आया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये परिवादी श्री रामनिवास की मौजूदगी में कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय हाजा की आलमारी से निकाला जाकर श्री भगवानदास कानिस्टेबल की सहायता से कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट किया जाकर दिनांक 11.02.2025 को परिवादी श्री रामनिवास द्वारा आरोपी व्यक्ति श्री मनोज, लाईनमैन गांव बज्जू, कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बज्जू से की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता संबंधी रिकॉर्ड की गई ऑडियो फाईल नाम 250211_1523 की हैश वैल्यू (SHA-1) चैक करने पर aacb5bd8d160b3b6096b19e25e776f448436ad23 होना पाई गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री रामनिवास की उपस्थिति में कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड से श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 की सहायता से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से संबंधित ऑडियो फाईल में सेव रिकॉर्डिंग की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जानी शुरु की गई। तत्पश्चात् वक्त- 06.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता संबंधी ऑडियो फाईल की विस्तृत फर्द टांस्क्रिप्ट उक्त रिकॉर्ड वार्ता को सुन-सुन कर परिवादी श्री रामनिवास से पूछ-पूछ कर संबंधित आवाजों की पहचान करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 की सहायता से तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट में हिंदी रूपांतरण मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त सत्यापन वार्ता की क्लिप को कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से दो पेन ड्राईव में कॉपी किया गया। एक पेन ड्राईव को पेन ड्राईव के कवर में डालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचिट् किया गया तथा एक पेन ड्राईव को अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर से निकाल कर कार्ड के कवर में डालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड किया गया। उक्त कार्यवाही मे संबंधित पृथक से मुर्तिब की गई फर्द ट्रांस्क्रिप्ट शामिल कार्यवाही कागजात की गई। उक्त तैयार किये गये साक्ष्यों सील्डसुदा मूल मेमोरी कार्ड, सील्डसुदा पेन ड्राईव तथा अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुले रखे पेन ड्राईव को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में रखी हुई आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् वक्त- 06.30 पी.एम. पर अब तक के तथ्यों के आधार पर आरोपी श्री मनोज, लाईनमैन बज्जू, कार्यालय सहायक अभियंता, जो.वि.वि.नि.लि. बज्जू, जिला बीकानेर द्वारा परिवादी श्री रामनिवास निवासी गांव बज्जू से उसके घरेलू विद्युत कनेक्शन के संबंध में बढा-चढाकर निकाले गये माह फरवरी 2025 की राशि 14,382 रुपये को कम करने का आश्वासन देते हुए उक्त कार्य करने की एवज में परिवादी श्री रामनिवास से माह फरवरी 2025 का बढाया हुआ बिजली का बिल कम करने तथा साल भर के लिए नियमानुसार बिल निकालने की एवज में रिश्वत राशि 10,000/- रुपये की स्पष्ट रूप से मांग करने के बाद परिवादी श्री रामनिवास द्वारा कुछ कम करने का निवेदन करने पर अंतत कुल 7,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए सहमत होने का कृत्य भ्रष्टाचार की श्रेणी में आना पाया गया। परिवादी श्री रामनिवास से आरोपी श्री मनोज, लाईनमैन बज्जू के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजित करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तो परिवादी ने बताया कि श्री मनोज लाईनमैन मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने से पूर्व मेरा काम नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मैंने उसको सिफारिशें लगवाई है, मगर फिर भी उसने रिश्वत प्राप्ति के चक्कर में फिर से माह फरवरी 2025 का बिल बढाकर निकाल दिया है, मैं जब तक उसे दिनांक 11.02.2025 को उपरोक्तानुसार हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक 7,000/- रुपये नहीं दे दूंगा, तब तक वो मेरा काम नहीं करेगा। इस कारण मैं कल ही उसे रिश्वत राशि दूंगा। जिस पर उपरोक्तानुसार परिवादी श्री रामनिवास से हुए विचार-विमर्श के उपरांत मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री मनोज लाईनमैन बज्जू के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजित की जाने के लिए आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 7,000/- रुपये की व्यवस्था करने के बारे में कहा तो परिवादी रामनिवास ने

कानिस्टेबल नंबर 151 को वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने के कारण गोपनीय राजकार्य के लिए दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बीकानेर के नाम की तहरीर मुर्तिब कर कार्यालय हाजा से जरिये क्रमांक 739 दिनांक12.02.2025 देकर रवाना किया गया। तत्पश्चात् वक्त-12.30 पी.एम. पर श्री रतनसिंह कानिस्टेबल नंबर 151 अपने साथ दो कर्मचारियों को गोपनीय राजकार्य हेतु हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय आया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री रतनसिंह कानिस्टेबल के साथ आये हुए कर्मचारियों से उनका नाम व पूर्ण पता पूछा तो दोनों ने अपना-अपना नाम व पता क्रमश 1- श्री लालचंद पडिहार पुत्र श्री फताराम, जाति मेघवाल, उम्र 52 वर्ष, पेशा सरकारी नौकरी, निवासी वार्ड नंबर 24, श्रीरामसर, पुलिस थाना गंगाशहर, जिला बीकानेर, हाल सहायक विकास अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बीकानेर, मोबाइल नंबर [redacted] तथा 2- श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री गोपालराम शर्मा, जाति सुथार, उम्र 54 वर्ष, पेशा सरकारी नौकरी, निवासी पाबूबारी के अंदर, नयाशहर, पुलिस थाना नयाशहर, जिला बीकानेर, हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बीकानेर, मोबाइल नंबर [redacted] होना बताया। जिस पर उक्त दोनों कर्मचारियों को कार्यालय हाजा पर बुलाये जाने के मंतव्य से अवगत करवाते हुए दिनांक 13-02-2025 को वक्त 10.00 ए.एम. पर या इससे पूर्व आवश्यकता होने पर जरिये मोबाइल तलब करने पर अविलंब आवश्यक रूप से कार्यालय हाजा में उपस्थित होने बाबत् पाबंद कर वक्त 01.00 पी.एम. पर कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया। तत्पश्चात् वक्त- 03.15 पी.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास उपस्थित कार्यालय आया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये परिवादी श्री रामनिवास की मौजूदगी में कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय हाजा की आलमारी से निकाला जाकर श्री भगवानदास कानिस्टेबल की सहायता से कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट किया जाकर दिनांक 11.02.2025 को परिवादी श्री रामनिवास द्वारा आरोपी व्यक्ति श्री मनोज, लाईनमैन गांव बज्जू, कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बज्जू से की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता संबंधी रिकॉर्ड की गई ऑडियो फाईल नाम 250211_1523 की हैश वैल्यू (SHA-1) चैक करने पर aacb5bd8d160b3b6096b19e25e776f448436ad23 होना पाई गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री रामनिवास की उपस्थिति में कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड से श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 की सहायता से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से संबंधित ऑडियो फाईल में सेव रिकॉर्डिंग की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जानी शुरु की गई। तत्पश्चात् वक्त- 06.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता संबंधी ऑडियो फाईल की विस्तृत फर्द टांस्क्रिप्ट उक्त रिकॉर्ड वार्ता को सुन-सुन कर परिवादी श्री रामनिवास से पूछ-पूछ कर संबंधित आवाजों की पहचान करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 की सहायता से तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट में हिंदी रूपांतरण मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त सत्यापन वार्ता की क्लिप को कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से दो पेन ड्राईव में कॉपी किया गया। एक पेन ड्राईव को पेन ड्राईव के कवर में डालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचिट् किया गया तथा एक पेन ड्राईव को अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर से निकाल कर कार्ड के कवर में डालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड किया गया। उक्त कार्यवाही से संबंधित पृथक से मुर्तिब की गई फर्द ट्रांस्क्रिप्ट शामिल कार्यवाही कागजात की गई। उक्त तैयार किये गये साक्ष्यों सील्डसुदा मूल मेमोरी कार्ड, सील्डसुदा पेन ड्राईव तथा अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुले रखे पेन ड्राईव को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में रखी हुई आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् वक्त- 06.30 पी.एम. पर अब तक के तथ्यों के आधार पर आरोपी श्री मनोज, लाईनमैन बज्जू, कार्यालय सहायक अभियंता, जो.वि.वि.नि.लि. बज्जू, जिला बीकानेर द्वारा परिवादी श्री रामनिवास निवासी गांव बज्जू से उसके घरेलू विद्युत कनेक्शन के संबंध में बढा-चढाकर निकाले गये माह फरवरी 2025 की राशि 14,382 रुपये को कम करने का आश्वासन देते हुए उक्त कार्य करने की एवज में परिवादी श्री रामनिवास से माह फरवरी 2025 का बढाया हुआ बिजली का बिल कम करने तथा साल भर के लिए नियमानुसार बिल निकालने की एवज में रिश्वत राशि 10,000/- रुपये की स्पष्ट रूप से मांग करने के बाद परिवादी श्री रामनिवास द्वारा कुछ कम करने का निवेदन करने पर अंतत कुल 7,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए सहमत होने का कृत्य भ्रष्टाचार की श्रेणी में आना पाया गया। परिवादी श्री रामनिवास से आरोपी श्री मनोज, लाईनमैन बज्जू के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजित करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तो परिवादी ने बताया कि श्री मनोज लाईनमैन मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने से पूर्व मेरा काम नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मैंने उसको सिफारिशें लगवाई है, मगर फिर भी उसने रिश्वत प्राप्ति के चक्कर में फिर से माह फरवरी 2025 का बिल बढाकर निकाल दिया है, मैं जब तक उसे दिनांक 11.02.2025 को उपरोक्तानुसार हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक 7,000/- रुपये नहीं दे दूंगा, तब तक वो मेरा काम नहीं करेगा। इस कारण मैं कल ही उसे रिश्वत राशि दूंगा। जिस पर उपरोक्तानुसार परिवादी श्री रामनिवास से हुए विचार-विमर्श के उपरांत मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री मनोज लाईनमैन बज्जू के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजित की जाने के लिए आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 7,000/- रुपये की व्यवस्था करने के बारे में कहा तो परिवादी रामनिवास ने

[redacted]

बताया कि मैं कल दिनांक 13.02.2025 को श्री मनोज लाईनमैन को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 7,000/- रुपये की व्यवस्था करके आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी श्री रामनिवास को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि सहित दिनांक 13.02.2025 को सुबह 10.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने व कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक-13.02.2025 को वक्त- 10.00 ए.एम. पर गोपनीय राजकार्य हेतु पूर्व से पाबंदसुदा दो सरकारी कर्मचारीगण श्री लालचंद पडिहार सहायक विकास अधिकारी तथा श्री राजकुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी श्री रामनिवास भी उपस्थित कार्यालय आया। जिस पर उक्त सभी को कार्यालय हाजा परिसर में बैठाया गया। वक्त- 10.25 ए.एम. पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित दोनों कर्मचारीगण श्री लालचंद पडिहार सहायक विकास अधिकारी तथा श्री राजकुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक को ब्यूरो द्वारा आयोजित की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया जाकर कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने के बारे में बताया गया। दोनों कर्मचारीगण द्वारा ब्यूरो की उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह मौजूद रहने की सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात् उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री रामनिवास का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री रामनिवास द्वारा ब्यूरो में दिये गये प्रार्थना पत्र का दोनों स्वतंत्र गवाहान को अवलोकन करवाया जाकर रिश्वत मांग आदि तथ्यों से अवगत करवाया गया। वक्त- 10.35 ए.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास पुत्र श्री रेशमाराम, जाति बिश्नोई, उम्र- 33 वर्ष, निवासी गांव बज्जू खालसा, पुलिस थाना बज्जू जिला बीकानेर ने मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रूबरू उपरोक्त गवाहान के कार्यवाही हेतु आरोपी श्री मनोज, लाईनमैन बज्जू, कार्यालय सहायक अभियंता, जो.वि.वि.नि. लि. बज्जू, जिला बीकानेर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रुपये के कुल 14 नोट कुल राशि 7,000/- रुपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी में अंकित करवाया गया। श्री इमरान खान, कनिष्ठ सहायक से फिनोल्फ्थेलिन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर उक्त सभी नोट एक अखबार के कागज पर रखवाकर उक्त कनिष्ठ सहायक से सभी नोटों पर फिनोल्फ्थेलिन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री रामनिवास की जामा तलाशी गवाह श्री लालचंद पड़िहार से लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल व पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया व उक्त पाउडर युक्त नोट 7,000/- रूपये परिवादी के पहनी हुई शर्ट की ऊपरी सामने की बायीं जेब में श्री इमरान खान कनिष्ठ सहायक से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपित से मिलने पर रिश्वती राशि लेनदेन के दौरान एवं रिश्वती राशि लेन-देन हो जाने के बाद आरोपित से हाथ नहीं मिलावें, रिश्वती राशि आरोपित द्वारा मांगे जाने पर उसे देवें, लेन-देन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुएं, आरोपित रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है, उसका ध्यान रखें एवं रिश्वती राशि देने के बाद किसी बहाने से बाहर आकर ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने सिर पर दोनों हाथों को फेरकर इशारा करे तथा यदि बाहर आकर इशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल करके इशारा करें। तत्पश्चात् प्लास्टिक के एक साफ गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया, जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के गिलास में श्री इमरान खान, कनिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थेलिन पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फ्थेलिन पाउडर लगाया गया था, उसे जलवाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रासायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री इमरान खान कनिष्ठ सहायक के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री इमरान खान, कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में ही रूकने की हिदायत कर कार्यालय में छोड़ा गया। फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत कार्यवाही पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल कार्यवाही कागजात की गई। तत्पश्चात् वक्त- 12.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री रामनिवास, स्वतंत्र गवाहान श्री लालचंद पडिहार सहायक विकास अधिकारी तथा श्री राजकुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक, श्री बजरंग सिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, श्री राजवीर सिंह हैड कानिस्टेबल नंबर 115, श्री राजेंद्र एच.सी. नंबर 127, श्री अनिल कानिस्टेबल नंबर 186, श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल नंबर 115, श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 तथा श्री रतनसिंह कानिस्टेबल नंबर 151 को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट इन्नोवा कार नंबर आर जे 07 टीए 4624 मय प्राईवेट चालक श्री बाबूलाल व निजी वाहन मय लेपटॉप, प्रिंटर, वीडियो कैमरा, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, संपूर्ण ट्रेप बॉक्स सामग्री सहित ब्यूरो चौकी बीकानेर से बज्जू के लिए रवाना हुआ। वक्त- 01.20 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के एसीबी कार्यालय बीकानेर से रवानासुदा कस्बा बज्जू से करीब 01 किलोमीटर पहले किसी गोपनीय स्थान पर पहुंचा तथा निजी वाहन को साईड में खडा किया गया। तत्पश्चात् वक्त 0123 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यवाही हाजा के स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री रामनिवास की मौजूदगी में जरिये श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 के माध्यम से ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मेमारी कार्ड स्थापित करवाया गया। निवेदन है कि कार्यवाही हाजा की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 11.02.2025 को सुनने से ज्ञात हुआ है कि आरोपी श्री मनोज, लाईनमैन परिवादी श्री रामनिवास से जरिये वॉट्सअप कॉल वार्ता करने में ज्यादा सहज है, क्योंकि स्वयं आरोपी द्वारा रिश्वत मांग

सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी को बताया गया है कि मैं आपको माह फरवरी 2025 का बढाया हुआ बिल सही करने के संबंध में वॉट्सअप कॉल करके बता दूंगा। इस कारण मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा वक्त 01.28 पी.एम. पर ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर रूबरू स्वतंत्र गवाहान चालू करवाकर रिश्वत लेन-देन वार्ता करवाने हेतु आरोपी श्री मनोज लाईनमैन बज्जू की वर्तमान लोकेशन का पता करने बाबत् परिवादी श्री रामनिवास के मोबाइल नंबर [redacted] से आरोपी श्री मनोज, लाईनमैन के मोबाइल नंबर [redacted] पर जरिये वॉट्सअप कॉल (VOIP) वार्ता करवाई गई, तो दौराने वार्ता आरोपी श्री मनोज, लाईनमैन ने परिवादी को बताया कि मैं अभी मेरे ऑफिस में ही हूं। वार्ता के दौरान परिवादी श्री रामनिवास ने आरोपी से मिलने के बारे में पूछा तो आरोपी श्री मनोज ने बताया कि मैं अभी बाजार की तरफ ही आ रहा हूं, बाजार में जहां हम पहले मिले थे, वहीं आपसे मिल लूंगा। वॉटसअप कॉल पर हुई उपरोक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया तथा वार्ता पूर्ण होने पर ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड बंद कर श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार स्वयं के पास रखा गया। वक्त- 01.40 पी.एम. पर चूंकि आरोपी श्री मनोज लाईनमैन अभी अपने कार्यालय में ही है, लिहाजा आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत लेन-देन वार्ता कार्यालय पर ही करवाये जाने का निर्णय लिया जाकर इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रूबरू स्वतंत्र गवाहान हमराही श्री भगवान दास कानिस्टेबल नंबर 134 के माध्यम से ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू करवाकर आरोपी श्री मनोज लाईनमैन बज्जू से रिश्वत लेन-देन वार्ता करवाने हेतु परिवादी श्री रामनिवास को सुपुर्द किया गया तथा कार्यालय सहायक अभियंता, जो.वि.वि.नि.लि. बज्जू से थोडा पहले ही परिवादी श्री रामनिवास को निजी वाहन से उतार कर आरोपी श्री मनोज लाईनमैन से वार्ता करने के लिए उसके कार्यालय में रवाना किया गया तथा परिवादी के पीछे-पीछे श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 को रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व सभी हमराहीयान अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के नियत इशारे के इंतजार में मुकिम रहे। तत्पश्चात् वक्त- 01.50 पी.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास बिना नियत इशारा किये ही सहायक अभियंता, जो.वि.वि.नि.लि. बज्जू के कार्यालय से बाहर आया, जिसके पीछे-पीछे श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 को रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुआ। तत्पश्चात् किसी गोपनीय स्थान पर पहुंचने पर परिवादी श्री रामनिवास ने ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 को सुपुर्द किया, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 द्वारा प्राप्त कर बंद करने के बाद स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि सहायक अभियंता कार्यालय में जाकर वहां पर उपस्थित स्टाफ से मैंने आरोपी श्री मनोज लाईनमैन के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि आरोपी श्री मनोज लाईनमैन अभी अपने कार्यालय में नहीं है, इस कारण मैं बिना वार्ता के ही लौट आया हूं। परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि पूर्व में आज मेरे से वॉट्सअप कॉल पर हुई वार्ता के मुताबिक आरोपी श्री मनोज लाईनमैन अभी मुझसे मिलने के लिए बज्जू स्थित मैन बाजार में जहां पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हुई थी, उस स्थान पर आ सकता है। अत मुझे अभी वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि मनोज लाईनमैन ने खुद ही वहीं पर आने का बोला है। वक्त- 02.10 पी.एम. पर चूंकि आरोपी श्री मनोज लाईनमैन अपने कार्यालय में नहीं मिला तथा पूर्व में परिवादी से जरिये मोबाइल वॉटसअप पर करवाई गई वार्ता में आरोपी द्वारा स्वयं ही बज्जू के बाजार में आकर मिलना बताया था, लिहाजा आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत लेन-देन वार्ता बज्जू के बाजार में ही होने की संभावना के मद्देनजर परिवादी श्री रामनिवास व आरोपी श्री मनोज लाईनमैन की रिश्वत लेन-देन वार्ता हेतु इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रूबरू स्वतंत्र गवाहान हमराही श्री भगवान दास कानिस्टेबल नंबर 134 के माध्यम से ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू करवाकर आरोपी श्री मनोज लाईनमैन बज्जू से रिश्वत लेन-देन वार्ता करवाने हेतु परिवादी श्री रामनिवास को सुपुर्द किया गया तथा परिवादी श्री रामनिवास को आरोपी श्री मनोज लाईनमैन से वार्ता करने के लिए बज्जू बाजार की तरफ रवाना किया गया। परिवादी के पीछे-पीछे श्री भगवानदास कानिस्टेबल को रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व सभी हमराहीयान भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के नियत इशारे के इंतजार में मुकिम रहे। वक्त- 02.40 पी.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास बिना नियत इशारा किये ही बज्जू स्थित मैन बाजार से साईड में किसी गोपनीय स्थान पर वापिस आया, जिसके पीछे-पीछे श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 को रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुए। तत्पश्चात् गोपनीय स्थान पर परिवादी श्री रामनिवास ने ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 को सुपुर्द किया, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 द्वारा प्राप्त कर बंद करने के बाद स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि आरोपी श्री मनोज लाईनमैन मेरे से वॉट्सअप कॉल पर हुई वार्ता के मुताबिक मेरे से मिलने बज्जू के बाजार में नहीं आया है। इस कारण मैं बिना वार्ता के ही लौट आया हूं। परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि इस दौरान मैंने मेरे मोबाइल से जरिये वॉट्सअप कॉल आरोपी श्री मनोज लाईनमैन को कॉल भी लगाया, मगर मेरा फोन उसने काट दिया। इसके अतिरिक्त परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि मैंने इंतजार करने के दौरान वहां पर किसी अज्ञात दुकान वाले को भी पूछा कि मनोज जी आये थे क्या तो उस अज्ञात

दुकानदार ने बताया कि आये तो थे करीब घण्टा भर पहले, मगर अभी तो यहां पर नहीं है। परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि अब श्री मनोज लाईनमैन खुद चलाकर ही मुझे कॉल करेगा, तो ही मैं उससे वार्ता करने जाउंगा। परिवादी ने बताया कि अभी हमें श्री मनोज लाईनमैन के कॉल का इंतजार करना चाहिए। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व सभी हमराहीयान कस्बा बज्जू में अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए आरोपी श्री मनोज, लाईनमैन बज्जू के कॉल के इंतजार में मुकिम रहे। वक्त- 06.00 पी.एम. तक मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री रामनिवास, स्वतंत्र गवाहान व सभी हमराहीयान सहित द्वारा कस्बा बज्जू में रहकर परिवादी श्री रामनिवास के पास आरोपी श्री मनोज लाईनमैन के आने वाले संभावित कॉल का इंतजार किया गया, मगर आरोपी श्री मनोज लाईनमैन का कोई कॉल/मैसेज/सूचना परिवादी श्री रामनिवास के पास नहीं आया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री रामनिवास, स्वतंत्र गवाहान श्री लालचंद पडिहार सहायक विकास अधिकारी तथा श्री राजकुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक, श्री बजरंग सिंह, सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, श्री राजवीर सिंह हैड कानिस्टेबल नंबर 115, श्री राजेंद्र एच.सी. नंबर 127, श्री अनिल कानिस्टेबल नंबर 186, श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल नंबर 115, श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 तथा श्री रतनसिंह कानिस्टेबल नंबर 151 को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट इन्नोवा कार नंबर आर जे 07 टीए 4624 मय प्राईवेट चालक श्री बाबूलाल व निजी वाहन मय लेपटॉप, प्रिंटर, वीडियो कैमरा, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, संपूर्ण ट्रेप बॉक्स सामग्री सहित कस्बा बज्जू से ब्यूरो चौकी बीकानेर के लिए रवाना हुआ। वक्त- 07.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री रामनिवास, स्वतंत्र गवाहान श्री लालचंद पडिहार सहायक विकास अधिकारी तथा श्री राजकुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक, श्री बजरंग सिंह सहायक उपनिस्क्षक पुलिस, श्री राजवीर सिंह हैड कानिस्टेबल नंबर 115, श्री राजेंद्र एच.सी. नंबर 127, श्री अनिल कानिस्टेबल नंबर 186, श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल नंबर 115, श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 तथा श्री रतनसिंह कानिस्टेबल नंबर 151 को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट इन्नोवा कार नंबर आर जे 07 टीए 4624 मय प्राईवेट चालक श्री बाबूलाल व निजी वाहन मय लेपटॉप, प्रिंटर, वीडियो कैमरा, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, संपूर्ण ट्रेप बॉक्स सामग्री सहित कस्बा बज्जू से रवानासुदा ब्यूरो चौकी बीकानेर के कार्यालय हाजा पर पहुंचा। आरोपी श्री मनोज लाईनमैन द्वारा परिवादी श्री रामनिवास से की गई रिश्वत मांग सत्यापन के अनुक्रम में आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 7,000/- रुपये को रूबरू दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री रामनिवास की जेब से मालखाना प्रभारी श्री राजेंद्र एच.सी. नंबर 127 के माध्यम से निकलवाकर सफेद कागज में लिपटवाकर श्री राजेंद्र एच.सी. नंबर 127 को ही सुपुर्द कर कार्यालय हाजा के मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात् प्राईवेट वाहन इन्नोवा कार नंबर आर जे 07 टीए 4624 मय प्राईवेट चालक श्री बाबूलाल को रुखसत किया गया। कार्यवाही हाजा में आज दिन में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को हमराही कानिस्टेबल श्री भगवानदास नंबर 134 से प्राप्त कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास रखा जाकर कार्यालय हाजा की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् कार्यवाही हाजा के स्वतंत्र गवाहान श्री लालचंद पडिहार, सहायक विकास अधिकारी व श्री राजकुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक तथा परिवादी श्री रामनिवास को आज दिन में हुई कार्यवाही से संबंधित रिकॉर्डिंग्स की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट बनाने व कार्यवाही से संबंधित अन्य गोपनीय राजकार्य होने की सूचना पर जरिये मोबाइल बुलाने पर अविलंब कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने की हिदायत दी गई। परिवादी श्री रामनिवास को उसके पास रिश्वत प्राप्ति हेतु आरोपी श्री मनोज लाईनमैन बज्जू का कोई कॉल/मैसेज/सूचना इत्यादि आने पर अविलंब मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाने हेतु पाबंद कर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही हाजा की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की विशेष हिदायत देकर कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 16.02.2025 को वक्त- 04.34 पी.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास ने स्वयं के मोबाइल नंबर [redacted] से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर [redacted] पर कॉल कर बताया कि आरोपी श्री मनोज लाईनमैन के बारे में मैंने इधर-उधर से पता किया तो मालूम हुआ है कि वो अभी बीकानेर गये हुए हैं तथा कल वो बीकानेर से बज्जू आयेंगे। परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री मनोज लाईनमैन मुझे कॉल तो शायद नहीं करेंगा, क्योंकि काम मेरा है उसका तो है नहीं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा इस संबंध में विचार विमर्श हेतु तथा दिनांक 13.02.2025 को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में कस्बा बज्जू में रिकॉर्डसुदा वार्ताओं की ट्रांस्क्रिप्ट बनाने के लिए कल दिनांक 17.02.2025 को कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने की परिवादी श्री रामनिवास को हिदायत दी गई तो परिवादी ने बताया कि मेरे कार्यालय का समय समाप्त होने पर मैं कल शाम को आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। तत्पश्चात् दिनांक 17.02.2025 को वक्त- 12.45 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर [redacted] से स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक के मोबाइल नंब[redacted] पर कॉल कर कार्यवाही हाजा से संबंधित की गई कार्यवाही दिनांक 13-02-2025 को कस्बा बज्जू में की गई कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड हुई वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट्स बनाने के लिए कार्यालय हाजा में तलब किया गया। जिस पर गवाह ने बताया कि कार्यालय समय समाप्त होने पर मैं शाम 6 बजे तक आपके कार्यालय पर उपस्थित हो जाउंगा। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा वक्त 12.47 पी.एम. पर अन्य स्वतंत्र गवाह श्री लालचंद पडिहार, स्वतंत्र गवाह के मोबाइल नंबर [redacted] पर कॉल कर कार्यवाही हाजा से संबंधित की गई कार्यवाही दिनांक 13-02-2025 को कस्बा बज्जू में की गई कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड हुई वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट्स बनाने के लिए कार्यालय हाजा में तलब

किया तो उक्त गवाह ने भी बताया कि कार्यालय समय समाप्त होने पर मैं शाम 6 बजे तक आपके कार्यालय पर उपस्थित हो जाउंगा। तत्पश्चात् वक्त- 06.05 पी.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास, कार्यवाही से संबंधित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री लालचंद पडिहार, सहायक विकास अधिकारी तथा श्री राजकुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री रामनिवास को आरोपी श्री मनोज लाईनमैन से रिश्वत लेन-देन वार्ता करने व ट्रेप कार्यवाही आयोजित करने बाबत् पूछा तो परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री मनोज लाईनमैन को अब मेरे माह फरवरी 2025 के बिजली के बिल को अपडेट करने तक या अगले माह मार्च 2025 का नया बिल जनरेट करने तक स्वयं चलाकर बार-बार कॉल करना या उससे मिलना उचित नहीं है। परिवादी ने बताया कि अब मैं मेरे माह फरवरी 2025 के बिजली के बिल को अपडेट करने तक श्री मनोज लाईनमैन से कोई बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि आज मेरे उक्त बिल को भरने की अंतिम तिथि थी, आज दिन में कार्यालय समय की समाप्ति होने के बाद इस समय तक आरोपी श्री मनोज लाईनमैन ने मेरे उक्त बिल को अपडेट नहीं किया है, इससे यह स्पष्ट है कि श्री मनोज लाईनमैन मेरे उक्त बिल में बढा-चढाकर अंकित की गई राशि 14,382 रुपये को बिना रिश्वत राशि प्राप्त किये कम नहीं करेगा। परिवादी ने बताया कि अब मैं अगले माह मार्च 2025 का बिजली बिल आने पर ही रिश्वत राशि सहित आरोपी श्री मनोज लाईनमैन से वार्ता करने जाउंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामनिवास को आरोपी श्री मनोज लाईनमैन के रिश्वत राशि प्राप्ति हेतु संभावित कॉल/मैसेज/सूचना का इंतजार करने की हिदायत दी गई। उक्त से संबंधित कोई भी सूचना हो, तो मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाने की हिदायत दी गई। वक्त- 06.10 पी.एम. पर कार्यवाही हाजा के परिवादी श्री रामनिवास, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री लालचंद पडिहार, सहायक विकास अधिकारी तथा श्री राजकुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा पर उपस्थित है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री रामनिवास व उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय हाजा की आलमारी से निकाला जाकर कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट किया जाकर कस्बा बज्जू में कार्यवाही हाजा से संबंधित दिनांक 13.02.2025 को रिकॉर्डसुदा वार्ताओं व रिकॉडिंग्स को स्पीकर पर चालू कर परिवादी से पूछ-पूछ कर फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जानी शुरु की गई। वक्त- 07.30 पी.एम. तक मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कस्बा बज्जू में कार्यवाही हाजा से संबंधित दिनांक 13.02.2025 को रिकॉर्डसुदा वार्ताओं को बारी-बारी सुन-सुनकर पृथक से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रूबरू परिवादी व कार्यवाही हाजा के स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही कागजात की गई। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 13.02.2025 को कस्बा बज्जू में जरिये मोबाइल वॉट्सअप कॉल पर परिवादी श्री रामनिवास व आरोपी श्री मनोज लाईनमैन के मध्य करवाई गई वार्ता से संबंधित कॉल रिकॉर्ड का परिवादी श्री रामनिवास के मोबाइल में मोबाइल नंबर 95718-84570 पर रजिस्टर्ड वॉट्सअप एप्लीकेशन से स्क्रीनशॉट लिवाकर उक्त स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट जरिये कार्यालय कम्प्यूटर द्वारा प्राप्त कर उक्त प्रिंट आउट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही कागजात किया गया। तत्पश्चात् वक्त- 07.35 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामनिवास को आरोपी श्री मनोज लाईनमैन के रिश्वत राशि प्राप्ति हेतु संभावित कॉल/मैसेज/सूचना का इंतजार करने की हिदायत दी गई तथा घटनाक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना से अवगत करवाने बाबत् बताया गया। कार्यवाही हाजा के दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीय कार्यवाही हाजा से संबंधित अग्रिम कार्यवाही हेतु आईंदा जरिये मोबाइल तलब करने पर अविलंब आवश्यक रूप से इस कार्यालय पर उपस्थिति देने हेतु पाबंद कर कार्यवाही हाजा की गोपनीयता बनाये रखने की विशेष हिदायत देकर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 27.02.2025 को वक्त- 09.03 पी.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास ने स्वयं के मोबाइल नंबर [redacted] से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर [redacted] पर कॉल कर बताया कि आरोपी श्री मनोज लाईनमैन ने मेरे माह फरवरी 2025 के बिजली बिल को कम करके 156/- रुपये कर दिया है, उक्त बिल को भरने की अंतिम दिनांक 28.02.2025 है। परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि आरोपी श्री मनोज लाईनमैन अब मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। जिस पर परिवादी श्री रामनिवास को कल दिनांक 28.02.2025 को कार्यालय हाजा पर बुलाया गया। तत्पश्चात् दिनांक-28.02.2025 को वक्त- 12.10 पी.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी श्री रामनिवास ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे गांव में स्थित मेरे घर के बिजली के माह फरवरी के बिल राशि रुपये 14,382 रुपये को दिनांक 17.02.2025 तक मैंने भरा नहीं था, इस कारण पेनल्टी लगकर उक्त बिल 14,657 रुपये हो गया था। कल जब मैंने ऑनलाईन गूगल पे पर चैक किया तो मालूम हुआ कि दिनांक 26.02.2025 को आरोपी श्री मनोज लाईनमैन ने मेरे माह फरवरी 2025 के बिजली बिल को अपडेट करते हुए उक्त बढा-चढाकर निकाली गई राशि को कम करके 156/- रुपये कर दिया, उक्त बिल को भरने की अंतिम दिनांक 28.02.2025 होने से मैंने आज ऑनलाईन ही जमा करवा दिया है। परिवादी श्री रामनिवास ने उक्त पेनल्टीयुक्त बिल व जमा करवाये गये बिल की फोटोप्रतियां पेश की, जिन पर परिवादी के हस्ताक्षर करवाने के बाद शामिल कार्यवाही कागजात की गई। चूंकि परिवादी श्री रामनिवास के माह फरवरी 2025 के बढाये हुए बिजली बिल को आरोपी मनोज लाईनमैन द्वारा कम करके अपडेट कर दिया गया है, इस कारण आरोपी श्री मनोज लाईनमैन के विरूद्ध आगे ट्रेप कार्यवाही करने के संबंध में पूछने पर परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि आरोपी श्री मनोज लाईनमैन अब अवश्य ही मेरे से 7,000

/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि अब यदि मैं मनोज लाईनमैन को उससे दिनांक 11.02.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के अनुक्रम में उसके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि नहीं दूंगा, तो मनोज लाईनमैन मेरे बिजली कनेक्शन के आगामी बिलों को फिर से पहले की तरह बढा-चढाकर निकालेगा। परिवादी श्री रामनिवास ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं अब आरोपी श्री मनोज लाईनमैन को ट्रेप करवाना चाहता हूं, क्योंकि उसने मेरा यह फरवरी 2025 का बिल पूरे साल के लिए नियमानुसार बिल निकालने की एवज में मेरी उससे 7,000/- रुपये रिश्वत राशि के संबंध में हुई वार्ता के कारण ही कम करके निकाला है। परिवादी ने बताया कि अब यदि मैं उक्त मांगी गई रिश्वत राशि आरोपी मनोज लाईनमैन को नहीं देता हूं, तो वह फिर से अगली बार मेरा बिल बढाकर निकालना शुरु कर देगा। जिस पर परिवादी श्री रामनिवास को ब्यूरो चौकी हाजा के प्रभारी अधिकारी श्रीमान् महावीर प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब के समक्ष पेश किया गया तथा पूर्ण हालात निवेदन किये गये। श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष भी परिवादी ने उक्त तथ्यों को ही दोहराया। जिस पर परिवादी श्री रामनिवास से आरोपी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही करने से संबंधित दिनांक व समय के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैं आरोपी श्री मनोज लाईनमैन की बज्जू में उपस्थिति के बारे में पता करके आईंदा आपको जरिये मोबाइल बता दूंगा या आपके कार्यालय पर उपस्थित होकर बता दूंगा। जिस पर परिवादी श्री रामनिवास को ट्रेप कार्यवाही करने की दिनांक व समय तथा आरोपी श्री मनोज लाईनमैन की बज्जू में उपस्थिति का पता करके मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाने बाबत् बताया गया, ताकि अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा सके। कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की विशेष हिदायत कर परिवादी श्री रामनिवास को कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक-02.03.2025, वक्त- 06.50 पी.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास ने स्वयं के मोबाइल नंबर[redacted]से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर [redacted]पर कॉल कर बताया कि आरोपी श्री मनोज लाईनमैन के कल बज्जू में ही रहने की संभावना है, इसलिए मैं अभी बज्जू से बीकानेर के लिए रवाना हो रहा हूं। परिवादी ने बताया कि कल ही मैं आरोपी श्री मनोज लाईनमैन द्वारा मेरे से मेरे काम के बदले में मांगी गई रिश्वत राशि आरोपी को दूंगा। जिस पर परिवादी श्री रामनिवास को कल दिन में कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 03.03.2025 को वक्त- 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि आरोपी श्री मनोज लाईनमैन आज कार्यदिवस होने के कारण अवश्य ही बज्जू में है तथा आज ही वो मेरे से 7,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा। परिवादी ने बताया कि अब यदि मैं मनोज लाईनमैन को उससे दिनांक 11.02.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के अनुक्रम में उसके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि नहीं दूंगा और ज्यादा देर करुंगा, तो मनोज लाईनमैन मेरे बिजली कनेक्शन के आगामी बिलों को फिर से पहले की तरह बढा-चढाकर निकालेगा। परिवादी श्री रामनिवास ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं अब आरोपी श्री मनोज लाईनमैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना ही चाहता हूं, क्योंकि उसने मेरा माह फरवरी 2025 का बिल पूरे साल के लिए नियमानुसार बिजली बिल निकालने की एवज में मेरी उससे 7,000/- रुपये रिश्वत राशि के संबंध में हुई वार्ता के कारण ही कम करके निकाला है। परिवादी ने पुन बताया कि अब यदि मैं उक्त मांगी गई रिश्वत राशि आरोपी मनोज लाईनमैन को नहीं देता हूं, तो वह फिर से अगली बार मेरा बिल बढाकर निकालना शुरु कर देगा। जिस पर परिवादी श्री रामनिवास को ब्यूरो चौकी हाजा के प्रभारी अधिकारी श्रीमान् महावीर प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब के समक्ष पेश किया गया तथा पूर्ण हालात निवेदन किये गये। श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष भी परिवादी ने उक्त तथ्यों को ही दोहराया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आरोपी श्री मनोज लाईनमैन, कार्यालय सहायक अभियंता, जो.वि.वि.नि.लि. बज्जू के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् वक्त- 11.15 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर[redacted] से गवाह श्री लालचंद पडिहार, सहायक विकास अधिकारी को उनके मोबाइल नंबर [redacted]तथा गवाह श्री राजकुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक को उनके मोबाइल नंबर [redacted]र कॉल कर कार्यालय हाजा पर गोपनीय राजकार्य हेतु बुलाया गया। वक्त- 12.10 पी.एम. पर कार्यवाही हाजा के दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री लालचंद पडिहार, सहायक विकास अधिकारी तथा श्री राजकुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये, जिन्हें कार्यालय परिसर में बैठाया गया। वक्त- 12.35 पी.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास व कार्यवाही हाजा के दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री लालचंद पडिहार, सहायक विकास अधिकारी तथा श्री राजकुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा पर उपस्थित हैं, जिस पर उपरोक्तान की उपस्थिति में कार्यालय हाजा के एच.एम. मालखाना श्री राजेंद्र कुमार हैड कानिस्टेबल नंबर 127 से कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाई हुई रिश्वत राशि कुल 7,000/- रुपये, जो परिवादी श्री रामनिवास से की गई रिश्वत मांग सत्यापन के अनुक्रम में आरोपी श्री मनोज लाईनमैन को रिश्वत में दी जाने वाली राशि है, जो सफेद कागज में लिपटवाकर मालखाना में रखी गई है, को मालखाना प्रभारी श्री राजेंद्र कुमार एच.सी. नंबर 127 की मौजूदगी में श्री इमरान खान, कनिष्ठ सहायक से मालखाना से निकलवाकर सफेद कागज से निकलवाकर उक्त नंबरी नोटों का मिलान रूबरू दोनों स्वतंत्र गवाहान कार्यवाही हाजा की फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत कार्यवाही से करवाकर परिवादी श्री रामनिवास के पहनी हुई शर्ट की ऊपरी सामने की बायीं जेब में श्री इमरान खान कनिष्ठ सहायक से रखवाये गये । परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपित से मिलने पर रिश्वती राशि लेनदेन के दौरान एवं रिश्वती राशि लेन-देन हो

जाने के बाद आरोपित से हाथ नहीं मिलावें, रिश्वती राशि आरोपित द्वारा मांगे जाने पर उसे देवें, लेन-देन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुएं, आरोपित रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है, उसका ध्यान रखें एवं रिश्वती राशि देने के बाद किसी बहाने से बाहर आकर ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने सिर पर दोनों हाथों को फेरकर इशारा करें तथा यदि बाहर आकर इशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल करके इशारा करें। श्री इमरान खान कनिष्ठ सहायक के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री इमरान खान, कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में ही रूकने की हिदायत कर कार्यालय में छोड़ा गया। तत्पश्चात् वक्त- 01-15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री रामनिवास, स्वतंत्र गवाहान श्री लालचंद पडिहार सहायक विकास अधिकारी तथा श्री राजकुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक, श्री बजरंग सिंह, सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, श्री राजवीर सिंह हैड कानिस्टेबल नंबर 115, श्री राजेंद्र कुमार एच.सी. नंबर 127, श्री अनिल कानिस्टेबल नंबर 186, श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल नंबर 115, श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 तथा श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट इन्नोवा क्रिस्टा कार नंबर आर जे 07 टीबी 3251 मय प्राईवेट चालक श्री इन्दर व निजी वाहन मय लेपटॉप, प्रिंटर, वीडियो कैमरा, कार्यवाही हाजा में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, संपूर्ण ट्रेप बॉक्स सामग्री सहित ब्यूरो चौकी बीकानेर से बज्जू के लिए रवाना हुआ। वक्त- 03.05 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के एसीबी कार्यालय बीकानेर से रवानासुदा कस्बा बज्जू से करीब 01 किलोमीटर पहले किसी गोपनीय स्थान पर पहुंचा तथा निजी वाहन को साईड में खडा किया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री रामनिवास से आरोपी श्री मनोज लाईनमैन के मिलने के स्थान के संबंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मनोज लाईनमैन कस्बा बज्जू में ही अपनी ड्यूटी के संबंध में घरों में लगे हुए बिजली मीटरों की रीडिंग लेते हुए इधर-उधर घूमता ही रहता है। परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि पिछली बार भी दिनांक 13-02-2025 को जब मैंने मनोज लाईनमैन को कॉल किया तो न तो वो मुझे अपने ऑफिस में मिला और न ही वो स्वयं द्वारा बताये हुए स्थान पर बज्जू के बाजार में मिला। परिवादी ने बताया कि आरोपी मनोज रिश्वत तो लेना चाहता है, मगर उसे कॉल करके उसकी लोकेशन पूछने पर उसे शक हो जाता है और वह न तो मुझसे मिलता है और न ही कोई बातचीत करता है। परिवादी ने बताया कि इस कारण आज मैं मनोज लाईनमैन से कॉल करके नहीं मिलूंगा, पहले मैं मेरे घर पर जाकर मेरी स्कूटी लेकर स्कूटी से ही श्री मनोज लाईनमैन का पता करके उसे ढूंढकर कस्बा बज्जू में घूमते-घूमते ही उसके मिलने पर उससे बात कर सकता हूं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक तथा स्वतंत्र गवाहान मय हमराहीयान द्वारा परिवादी के कस्बा बज्जू में स्थित निवास स्थान की ओर जाकर गोपनीय स्थान पर वाहन को खडा किया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हमराही ब्यूरो कार्मिक श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 को कार्यवाही में पूर्व में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मूल मेमोरी कार्ड सुपुर्द करते हुए हिदायत दी गई कि परिवादी श्री रामनिवास के साथ उसके घर की तरफ जाकर उसके घर से स्कूटी लेने के बाद परिवादी को ब्यूरो का उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मूल मेमोरी कार्ड चालू करते हुए सुपुर्द करें तथा आरोपी श्री मनोज लाईनमैन से रिश्वत लेन-देन वार्ता करवाने हेतु परिवादी श्री रामनिवास की स्कूटी पर ही उसके साथ ही बैठकर रवाना होने की हिदायत दी गई। परिवादी श्री रामनिवास को आरोपी श्री मनोज लाईनमैन से रिश्वत राशि का लेन-देन हो जाने पर पूर्व निर्धारित इशारा/जरिये मोबाइल कॉल कर इस आशय की सूचना देने की हिदायत दी गई तथा श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 को भी परिवादी व आरोपी के मिलने पर रिश्वत लेन-देन संबंधी होने वाली कार्यवाही को अपनी उपस्थिति छिपाते हुए देखने व मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान को उक्त आशय की सूचना देने की हिदायत दी गई। उक्त हिदायतें देने के पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामनिवास व श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 दोनों को रवाना किया गया। वक्त- 03.22 पी.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास तथा श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 दोनों परिवादी की स्कूटी पर सवार होकर गोपनीय स्थान पर रुके हुए मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, मय हमराहीयान के पास से गुजरे। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहीयान भी परिवादी व श्री भगवानदास कानिस्टेबल के पीछे-पीछे रवाना होकर कस्बा बज्जू में अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकिम रहे। वक्त- 03.55 पी.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास तथा श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 दोनों ही परिवादी के नियत इशारे के इंतजार में मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहीयान के पास कस्बा बज्जू में उपस्थित आये। श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 द्वारा कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मूल मेमोरी कार्ड सहित मन् पुलिस निरीक्षक को दिया गया, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री रामनिवास ने पूछने पर बताया कि मैं व श्री भगवानदास जी दोनों मेरी स्कूटी से रवाना होकर कस्बा बज्जू में आरोपी श्री मनोज लाईनमैन को ढूंढते रहे। थोडी देर बाद स्कूटी पर घूमते-घूमते ही श्री मनोज लाईनमैन हमें कस्बा बज्जू के बाजार में ही एक दुकान पर कुछ व्यक्तियों के पास बैठा हुआ दिखाई दिया। जिस पर मैंने व श्री भगवानदास जी ने अपनी उपस्थिति छिपाते हुए श्री भगवानदास जी को थोडी दूर पहले ही स्कूटी से उतार कर वहीं बाजार में साईड में खडा करके मैं आरोपी मनोज लाईनमैन से बातचीत करने चला गया। भगवानदासजी वहीं पर साईड में गोपनीय स्थान पर खडे रहे। फिर मेरी मनोज लाईनमैन से बातचीत हुई, बातचीत के दौरान मनोज लाईनमैन ने स्वयं द्वारा की गई रिश्वत मांग के अनुक्रम में 7,000/- रुपये रिश्वत

राशि को मेरे से प्राप्त नहीं किया तथा मुझे कहा कि मैं रुपये आपसे बाद में एक साथ ही ले लूंगा तथा फोन करके ले लूंगा, लेकिन आज नहीं लूंगा। परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि आरोपी मनोज लाईनमैन ने मेरे से आज उक्त रिश्वत राशि के 7,000/- रुपये नहीं लिए हैं, लेकिन आईंदा उसने मेरे से ये रुपये लेने के लिए बोला है। परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि मनोज लाईनमैन से उपरोक्त वार्ता होने के बाद मैं बज्जू बाजार में थोडी दूरी पर आकर श्री भगवानदास जी कानिस्टेबल से गोपनीय स्थान पर मिला तथा हम दोनों वहां से स्कूटी पर रवाना होकर किसी गोपनीय स्थान पर मैंने स्कूटी को रोककर ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर श्री भगवानदास जी को सुपुर्द किया, जिसे बंद कर इन्होने अपने पास रखा। तत्पश्चात् हम दोनों स्कूटी से रवाना होकर मेरे घर पर जाकर स्कूटी को घर पर ही छोडकर आपके पास आये हैं। श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 ने भी बताया कि परिवादी श्री रामनिवास व आरोपी श्री मनोज लाईनमैन दोनों को वार्ता करते हुए मैंने भी थोडी दूरी से खडे होकर देखा है। तत्पश्चात् वक्त- 04.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री रामनिवास, स्वतंत्र गवाहान श्री लालचंद पडिहार सहायक विकास अधिकारी तथा श्री राजकुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक, श्री बजरंग सिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, श्री राजवीर सिंह हैड कानिस्टेबल नंबर 115, श्री राजेंद्र कुमार एच.सी. नंबर 127, श्री अनिल कानिस्टेबल नंबर 186, श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल नंबर 115, श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 तथा श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट इन्नोवा क्रिस्टा कार नंबर आर जे 07 टीबी 3251 मय प्राईवेट चालक श्री इन्दर व निजी वाहन मय लेपटॉप, प्रिंटर, वीडियो कैमरा, कार्यवाही हाजा में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, संपूर्ण ट्रेप बॉक्स सामग्री सहित बज्जू से ब्यूरो चौकी बीकानेर के लिए रवाना हुआ। वक्त- 05.45 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री रामनिवास, स्वतंत्र गवाहान श्री लालचंद पडिहार सहायक विकास अधिकारी तथा श्री राजकुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक, श्री बजरंग सिंह, सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, श्री राजवीर सिंह हैड कानिस्टेबल नंबर 115, श्री राजेंद्र कुमार एच.सी. नंबर 127, श्री अनिल कानिस्टेबल नंबर 186, श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल नंबर 115, श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 तथा श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट इन्नोवा क्रिस्टा कार नंबर आर जे 07 टीबी 3251 मय प्राईवेट चालक श्री इन्दर व निजी वाहन मय लेपटॉप, प्रिंटर, वीडियो कैमरा, कार्यवाही हाजा में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, संपूर्ण ट्रेप बॉक्स सामग्री सहित कस्बा बज्जू से रवानासुदा ब्यूरो चौकी बीकानेर स्थित कार्यालय हाजा पर पहुंचा। आरोपी श्री मनोज लाईनमैन द्वारा परिवादी श्री रामनिवास से की गई रिश्वत मांग सत्यापन के अनुक्रम में आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 7,000/- रुपये को रूबरू दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री रामनिवास की जेब से मालखाना प्रभारी श्री राजेंद्र एच.सी. नंबर 127 के माध्यम से निकलवाकर भूरे रंग के कागज के एक लिफाफे में डलवाकर श्री राजेंद्र एच.सी. नंबर 127 को ही सुपुर्द कर कार्यालय हाजा के मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात् प्राईवेट इन्नोवा क्रिस्टा कार नंबर आर जे 07 टीबी 3251 मय प्राईवेट चालक श्री इन्दर को रुखसत किया गया। तत्पश्चात् वक्त- 05.50 पी.एम. पर कार्यवाही हाजा के परिवादी श्री रामनिवास, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री लालचंद पडिहार, सहायक विकास अधिकारी तथा श्री राजकुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा पर उपस्थित है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री रामनिवास व उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में स्वयं के पास रखे हुए कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री भगवान दास कानिस्टेबल नं. 134 की सहायता से कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट किया जाकर कस्बा बज्जू में कार्यवाही हाजा से संबंधित आज दिन में परिवादी व आरोपी के मध्य रिकॉर्डसुदा वार्ता की रिकॉर्डिंग को चालू कर स्पीकर पर सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जानी शुरु की गई। वक्त- 06.45 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कस्बा बज्जू में कार्यवाही हाजा से संबंधित आज दिनांक 03.03.2025 को परिवादी श्री रामनिवास व आरोपी श्री मनोज लाईनमैन बज्जू के मध्य रिकॉर्डसुदा वार्ता से संबंधित कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री भगवान दास कानिस्टेबल नं. 134 की सहायता से कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट किया जाकर कस्बा बज्जू में कार्यवाही हाजा से संबंधित आज दिन में परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता की रिकॉर्डिंग को स्पीकर पर सुना जाकर परिवादी से पूछ-पूछ कर संबंधित आवाजों की पहचान करवाकर पृथक से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रूबरू परिवादी व कार्यवाही हाजा के स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही कागजात की गई। वक्त- 06.50 पी.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास को उसके पास रिश्वत प्राप्ति हेतु आरोपी श्री मनोज लाईनमैन बज्जू का कोई कॉल/मैसेज/सूचना इत्यादि आने पर अविलंब मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाने हेतु पाबंद किया गया। कार्यवाही हाजा के दोनों स्वतंत्र गवाहान को आगामी विधिक कार्यवाही हेतु आवश्यकता होने पर जरिये मोबाइल तलब करने पर अविलंब कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने के लिए पाबंद कर परिवादी श्री रामनिवास व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री लालचंद पडिहार, सहायक विकास अधिकारी व श्री राजकुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक को कार्यवाही हाजा की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की विशेष हिदायत देकर कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया। कार्यवाही हाजा में आज दिन में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मूल मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास रखा जाकर कार्यालय हाजा की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् दिनांक 10-03-2025 को परिवादी श्री रामनिवास दिन में वक्त 1252 पी.एम. को मन् पुलिस निरीक्षक को कॉल कर वक्त- 06.20 पी.एम. पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि आज दिनांक 10.03.2025

को आरोपी श्री मनोज लाईनमैन बज्जू ने मेरे घर के बिजली कनेक्शन का माह मार्च 2025 का कुल 272 रुपये का बिल निकाला था, जो मेरे घर पर मुझे प्राप्त होने पर मेरे द्वारा आज ही ऑनलाईन भर दिया गया है। माह मार्च 2025 के आज निकाले गये इस बिल में मनोज लाईनमैन ने बिंदु संख्या 13 व 15 के मुताबिक गत पठन तिथि दिनांक 26-02-2025 को मेरे मीटर की रीडिंग मात्र 969 KWH बताई गई है। परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि ब्यूरो में मेरे द्वारा दिनांक 10.02.2025 को आरोपी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही करवाने के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजों के मुताबिक माह फरवरी 2025 के बिल दिनांक- 05.02.2025 के अनुसार मेरे मीटर की रीडिंग 2593 KWH निकाली गई थी, जबकि उस समय मेरे मीटर की वास्तविक रीडिंग 1020 KWH थी, इस कारण उक्त बिल की रीडिंग को दुरुस्त करवाने के लिए ही तो दिनांक 07.02.2025 को मेरे द्वारा उस दिन श्रीमान् सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बज्जू को उक्त बिल की राशि कम करने व रीडिंग सुधारने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, मेरे बिजली मीटर की तत्समय की वास्तविक रीडिंग से संबंधित ली गई फोटो की फोटोप्रति व माह फरवरी 2025 के बिल की फोटोप्रति इत्यादि दस्तावेजों की प्रतियां मेरे द्वारा आपको प्रार्थना पत्र के संलग्न कर सुपुर्द की गई है। परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि आज दिनांक- 10.03.2025 को आरोपी मनोज लाईनमैन द्वारा निकाले गये बिल के बिंदु संख्या 15 के अनुसार गत पठन 969 KWH बताया गया है तथा बिंदु संख्या 16 के मुताबिक वर्तमान पठन 1002 KWH बताया गया है। परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि श्री मनोज लाईनमैन द्वारा निकाले गये बिजली बिलों के मुताबिक दिनांक 25.01.2025 को मेरे मीटर की तात्कालिक रीडिंग 968 KWH, दिनांक 05.02.2025 को 2593 KWH, दिनांक 26.02.2025 को 969 KWH तथा आज दिनांक 10.03.2025 को वर्तमान पठन 1002 KWH होना बताया गया है, जबकि मेरे घर पर लगे मीटर की वास्तविक वर्तमान रीडिंग 1163 KWH है, जिसकी आज ही मेरे मोबाइल में ली गई फोटो की फोटोप्रति मैं आपको पेश कर रहा हूं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मेरे व श्री मनोज लाईनमैन बज्जू के मध्य दिनांक 11.02.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी द्वारा कुल 7,000/- रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से अवैध रिश्वत राशि मांगे जाने पर मेरे द्वारा उक्त रिश्वत राशि श्री मनोज लाईनमैन को बंधी के तौर पर दे देने की स्वीकृति कर देने पर ही आरोपी मनोज लाईनमैन ने अब मेरे विद्युत कनेक्शन की वास्तविक रीडिंग का भी अंकन सही नहीं करके वास्तविक रीडिंग से भी कम कर दिया है, इससे जाहिर होता है कि मनोज लाईनमैन अब पक्का मेरे से उक्त मांगी गई रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि श्री मनोज लाईनमैन ने अभी तक तो मेरे से उक्त रिश्वत राशि 7,000/- रुपये प्राप्त करने के लिए कोई सूचना/कॉल/मैसेज नहीं किया है, ज्यों ही आरोपी मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए कहेगा, मैं आपको बताउंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामनिवास द्वारा लाकर पेश किये गये माह मार्च 2025 के बिजली बिल की फोटोप्रति व उसके घर पर लगे बिजली मीटर की आज दिनांक 10.03.2025 को वर्तमान वास्तविक रीडिंग से संबंधित लिये गये फोटो की फोटोप्रति को परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही कागजात किया गया। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामनिवास को उसके घर पर लगे बिजली मीटर की रीडिंग से संबंधित उक्त पेश की गई फोटोप्रति से संबंधित मूल फोटो, जो परिवादी के मोबाइल में सेव है, को आईंदा अपने मोबाइल में सेव रखने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् वक्त- 07.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामनिवास को उसके पास रिश्वत प्राप्ति हेतु आरोपी श्री मनोज लाईनमैन बज्जू का कोई कॉल/मैसेज/सूचना इत्यादि आने पर अविलंब मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाने हेतु पाबंद किया गया। परिवादी श्री रामनिवास को कार्यवाही हाजा से संबंधित अब तक की गई कार्यवाही की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की विशेष हिदायत देकर कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 15-04-2025 को वक्त- 10.14 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर [redacted] से परिवादी श्री रामनिवास के मोबाइल नंबर [redacted] पर कॉल किया गया तो परिवादी श्री रामनिवास ने बताया कि बीच में छुटिट्यां आ जाने के कारण मैं आपके कार्यालय पर नहीं आ पाया। परिवादी ने बताया कि मेरे घर का बिजली का बिल इस माह का आ गया है और मनोज लाईनमैन द्वारा जितनी वास्तविक रीडिंग है, उतना ही बिल निकाला गया है, इस बार बढा कर बिल नहीं निकाला गया है। परिवादी ने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद आरोपी मनोज लाईनमैन बज्जू को मुझ पर शक हो गया है, इस कारण न तो वह मेरे से रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्राप्त करेगा तथा न ही वह मेरे मीटर की रीडिंग को बढाकर निकालेगा। इस कारण मैं इस मामले में अब तक की गई कार्यवाही के आधार पर ही आगे की कार्यवाही करवाना चाहता हूं। जिस पर परिवादी को कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने की हिदायत दी गई, तो परिवादी ने बताया कि मैं कल आपके कार्यालय पर उपस्थित हो जाउंगा। तत्पश्चात् दिनांक 16-04-2025 को वक्त- 10.50 ए.एम. पर परिवादी श्री रामनिवास उपस्थित कार्यालय आया तथा एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर के नाम से इस आशय का पेश किया कि दिनांक 10-02-2025 को मैंने आपके कार्यालय में उपस्थित होकर श्री मनोज लाईनमैन बज्जू के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। तत्पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र के अनुक्रम में मेरी दिनांक 11-02-2025 को श्री मनोज लाईनमैन से मेरे पैण्डिग कार्य के संबंध में रूबरू रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हुई थी। उक्त मांग सत्यापन वार्ता में श्री मनोज लाईनमैन स्वयं द्वारा बढा-चढाकर निकाले गये माह फरवरी 2025 के मेरे घरेलू विद्युत कनेक्शन की राशि 14,382 रुपये को कम करने का आश्वासन देते हुए उक्त जायज कार्य

करने की एवज में मेरे से माह फरवरी 2025 का बढाया हुआ बिजली का बिल कम करने तथा साल भर के लिए नियमानुसार बिल निकालने की एवज में रिश्वत राशि 10,000/- रुपये की स्पष्ट रूप से मांग करने के बाद मेरे द्वारा कुछ कम करने का निवेदन करने पर अंतत कुल 7,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ था। इसके बाद दिनांक 13-02-2025 को श्री मनोज लाईनमैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप करवाने के लिए मेरे द्वारा आपके कार्यालय में 7,000/- रुपये राशि रिश्वत के रूप में देने के लिए उपलब्ध करवाई गई थी। चूंकि अब दो माह से अधिक का समय हो गया है तथा आरोपी मनोज लाईनमैन द्वारा मेरे से उक्त रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद आरोपी मनोज लाईनमैन बज्जू को मुझ पर शक हो गया है, इस कारण न तो वह मेरे से उक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्राप्त करेगा तथा न ही वह मेरे मीटर की रीडिंग को बढाकर निकालेगा। इस कारण मैं इस मामले में अब तक की गई कार्यवाही के आधार पर ही आगे की नियमानुसार कार्यवाही करवाना चाहता हूं। इस कारण मेरे द्वारा आरोपी मनोज लाईनमैन बज्जू के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही करवाने के लिए आपके कार्यालय में उपलब्ध करवाई गई 7,000/- रुपये राशि लौटाई जावें तथा जो भी नियमानुसार कार्यवाही बनती है, की जावें। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में परिवादी श्री रामनिवास से पुन पूछने पर बताया कि अब इस मामले में आगे ट्रेप कार्यवाही संभव नहीं है। परिवादी श्री रामनिवास द्वारा अपने घर पर लगे बिजली के बिल माह अप्रैल 2025 की फोटोप्रति पेश की गई, जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही कागजात की गई। अत प्रकरण में परिवादी को रिश्वती राशि पुन लौटाई जानी है, इस कारण मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर [redacted] से कार्यवाही हाजा के गवाह श्री लालचंद पडिहार, सहायक विकास अधिकारी को उनके मोबाइल नंबर [redacted] तथा गवाह श्री राजकुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक को उनके मोबाइल नंबर 73573-65776 पर कॉल कर कार्यालय हाजा पर गोपनीय राजकार्य हेतु बुलाया गया। श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी के प्रार्थना पत्र के संबंध में अवगत करवाया गया। वक्त- 11.40 ए.एम. पर कार्यवाही हाजा के दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री लालचंद पडिहार, सहायक विकास अधिकारी तथा श्री राजकुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक हस्ब तलबिदा कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री रामनिवास द्वारा ब्यूरो में आज दिनांक को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढ कर सुनाया गया। परिवादी श्री रामनिवास पहले से ही कार्यालय हाजा पर मौजूद है। वक्त- 11.50 ए.एम. पर कार्यवाही हाजा में प्रयुक्त फर्द नमूना पीतल की सील नम्बर 79 तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही कागजात की गई। तत्पश्चात् वक्त- 12.10 पी.एम. पर प्रकरण से संबंधित इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य, जो मन् पुलिस निरीक्षक के पास कार्यालय हाजा की आलमारी में सुरक्षित रखे हुए हैं, को रूबरू स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के कार्यालय हाजा की आलमारी से निकाला गया। उक्त इलेक्ट्रोनिक साक्ष्यों में दिनांक 12.02.2025 को सील्डसुदा मूल मेमोरी कार्ड, सील्डसुदा पेन ड्राईव तथा अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुला रखा गया पेन ड्राईव है। उपरोक्त के अलावा कार्यवाही हाजा में प्रयुक्त वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु एक अन्य मूल मेमोरी कार्ड है, जो मन् पुलिस निरीक्षक के पास कार्यालय हाजा की आलमारी में सुरक्षित रखा हुआ है, को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के सामने पुन डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डालकर चैक कर सुना व सुनाया गया तो उक्त मूल मेमोरी कार्ड में कुल 04 ऑडियो फाइल्स रिकॉर्ड होना पाई गई, जिनमें दिनांक 13-02-2025 को परिवादी श्री रामनिवास व आरोपी श्री मनोज, लाईनमैन बज्जू, कार्यालय सहायक अभियंता, जो.वि.वि.नि.लि., बज्जू के मध्य जरिये वॉट्सअप कॉल मोबाइल पर करवाई गई वार्ता और दिनांक 13-02-2025 को रिकॉर्ड की गई अन्य 02 रिकॉर्डिंग्स हैं तथा उक्त के अतिरिक्त दिनांक 03-03-2025 को बज्जू बाजार में परिवादी श्री रामनिवास व आरोपी श्री मनोज, लाईनमैन बज्जू, कार्यालय सहायक अभियंता, जो.वि.वि.नि.लि., बज्जू के मध्य रूबरू हुई वार्ता है। इस प्रकार कुल 04 ऑडियो फाईल्स रिकॉर्ड होना पाई गई। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित उक्त मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डसुदा उपरोक्त 04 ऑडियो फाइल्स को कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से रूबरू दोनों गवाहान के वार्ता की फाइल्स को बारी-बारी से चालू कर सुनाया गया। परिवादी ने इस मेमोरी कार्ड में स्वयं व आरोपी श्री मनोज के मध्य उपरोक्त दिनांक को वार्ताएं होना व आवाज की पहचान की गई, अर्थात् उक्त मूल मेमोरी कार्ड परिवादी के द्वारा करवाई जा रही उक्त कार्यवाही से ही संबंधित है। तत्पश्चात् कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से दो पेन ड्राईव में उपरोक्त ऑडियो फाइलें पृथक-पृथक कॉपी की गई। एक पेन ड्राईव को पेन ड्राईव के कवर में डालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सीलचिट् किया गया तथा एक पेन ड्राईव को अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। उक्त मूल मेमोरी कार्ड को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में से निकाल कर कार्ड के कवर में डालकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर थैली पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत सील्ड किया गया। इस प्रकार कार्यवाही हाजा से संबंधित उक्त समस्त इलेक्ट्रोनिक साक्ष्यों, जिनमें सील्डसुदा मूल मेमोरी कार्ड कुल 02, सील्डसुदा पेन ड्राईव कुल 02 तथा अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुले रखे गये पेन ड्राईव कुल 02 हैं, को कार्यालय हाजा के मालखाना प्रभारी श्री राजवीर सिंह मुख्य आरक्षक को दुरुस्त हालत में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। वक्त- 01.00 पी.एम. पर कार्यवाही हाजा में प्रयुक्त फर्द नमूना पीतल की सील नम्बर 79 को अनुपयोगी कर नष्ट किया गया। तत्पश्चात् उपरोक्त फर्दात मय परिवादी का प्रार्थना पत्र दिनांक 16-04-2025 शामिल पत्रावली किये जाकर परिवादी श्री रामनिवास को उसके द्वारा पूर्व में पेश की गई राशि कुल 7,000/- रुपये (500-500 रुपये के 14 नोट) लौटाये जाकर प्राप्ति

रसीद प्राप्त की गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री रामनिवास व कार्यवाही से संबंधित दोनों स्वतंत्र गवाहान को फारिग किया गया। इस प्रकार उपरोक्त घटनाक्रम व रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ताओं के आधार पर पाया गया कि आरोपी श्री मनोज, लाईनमैन बज्जू, कार्यालय सहायक अभियंता, जो.वि.वि.नि.लि. बज्जू, जिला बीकानेर द्वारा परिवादी श्री रामनिवास निवासी गांव बज्जू खालसा से उसके घरेलू विद्युत कनेक्शन के संबंध में बढा-चढाकर निकाले गये माह फरवरी 2025 की राशि 14,382/- रुपये को कम करने का आश्वासन देते हुए उक्त कार्य करने की एवज में परिवादी श्री रामनिवास से माह फरवरी 2025 का बढाया हुआ बिजली का बिल कम करने तथा साल भर के लिए नियमानुसार बिल निकालने की एवज में रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग की गई। आरोपी श्री मनोज, लाईनमैन बज्जू परिवादी श्री रामनिवास से दिनांक 11-02-2025 को इस प्रकार कहकर, कि "आरोपी- साल गे देओ तब दस हजार", परिवादी- किता देणा है, "आरोपी- दस हजार", परिवादी- दस हजार रिपया, दस तो दादा घणा है नी, "आरोपी- तो आप अपने हिसाब से दे देना", परिवादी- पांच हजार करो नी हूं, "आरोपी- दोनों का बीच का रख लो", परिवादी- पांच हजार, "आरोपी- दोनों का बीच का .... ये तो आपका रहा ना", इत्यादि रिश्वत संबंधी वार्ता करके 7,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ। तत्पश्चात् आरोपी श्री मनोज लाईनमैन द्वारा परिवादी श्री रामनिवास से दिनांक 03-03-2025 को हुई वार्ता के दौरान इस प्रकार कहकर, कि "आरोपी- ऐ तो कीं कोनी करलां ओ, राखो, थे राखो, ले लऊं, कीं कोनी अज चालण दो......, कोई दिक्कत कोनी, और किंऊं बात ना करया, थे राखो, हूं ले लऊं, सुणो...., अर सुणो, हूं अभी कोनी लूं, एक सागे ले लऊं, थे रखो...., थे म्हारी बात सुणो, थे ई महेंद्र धेंद्र हूं कोई बात कोनी करणी, बो शायद बिल तो अब देवां म्हे थाने, कर दियो बिल आरो थारे मैसेज आग्यो होसी, निश्चिंत रेवो, ले लां थारे ऊँ, फोन कर अर ले लां, कीं दिक्कत कोनी", इत्यादि उपरोक्त आधार पर परिवादी के पैण्डिग कार्य के संबंध में बातचीत करते हुए पूर्व में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की पुष्टि की गई तथा आरोपी श्री मनोज लाईनमैन का रिश्वत मांग संबंधी आशय भी पुन स्पष्ट हुआ। इस प्रकार आरोपी श्री मनोज, लाईनमैन बज्जू, कार्यालय सहायक अभियंता, जो.वि.वि.नि.लि. बज्जू, जिला बीकानेर द्वारा परिवादी श्री रामनिवास निवासी गांव बज्जू से उसके घरेलू विद्युत कनेक्शन के संबंध में बढा-चढाकर निकाले गये माह फरवरी 2025 के बिल की राशि 14,382 रुपये को कम करने का आश्वासन देते हुए उक्त कार्य करने की एवज में परिवादी श्री रामनिवास से माह फरवरी 2025 का बढाया हुआ बिजली का बिल कम करने तथा साल भर के लिए नियमानुसार बिल निकालने की एवज में आरोपी द्वारा रिश्वत राशि 10,000/- की स्पष्ट रूप से मांग करने के बाद परिवादी श्री रामनिवास के द्वारा कुछ कम करने का निवेदन करने पर अंतत आरोपी श्री मनोज लाईनमैन के द्वारा कुल 7,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए सहमत होने का कृत्य अंतर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। तत्पश्चात् शक हो जाने पर आरोपी श्री मनोज लाईनमैन स्वयं द्वारा स्वयं के लिए ही परिवादी श्री रामनिवास से मांगी गई उक्त अवैध रिश्वत राशि परिवादी से प्राप्त नहीं की गई। अत उपरोक्त आधार पर आरोपी श्री मनोज गौतम पुत्र श्री बंशीलाल, उम्र-40 वर्ष, निवासी- एफ.सी.आई. गोदाम के पीछे, इंद्रा कॉलोनी, बीकानेर, हाल- तकनीशियन-प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता, जो.वि.वि.नि.लि. बज्जू, जिला बीकानेर के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में प्रेषित है। श्रवण कुमार पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री श्रवण कुमार पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) में आरोपी श्री मनोज गौतम पुत्र श्री बंशीलाल, उम्र-40 वर्ष, निवासी- एफ.सी.आई. गोदाम के पीछे, इंद्रा कॉलोनी, बीकानेर, हाल- तकनीशियन-प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता, जो.वि.वि.नि.लि. बज्जू, जिला बीकानेर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती पिंकी गंगवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर एस.यू. बीकानेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 953 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 911-14 दिनांक 20-06-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-अधीक्षण अभियंता (जिला वृत) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PINKI GANGWAL **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 20/06/2025 16:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	12/06/1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)